

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रत्यारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सम्बन्धी प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रतनाकपुर	22 55	दगुराम पुत्र पेमा दगुराम पुत्र पेमा	दगुराम लाल कलक पेमाराम दगुराम लाल कलक पेमाराम

(fhr)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर.

दिनांक :- 17.10.2020

क्रमांक :- 25/315

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री दगुराम लाल कलक पुत्र पेमाराम को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fhr)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर.